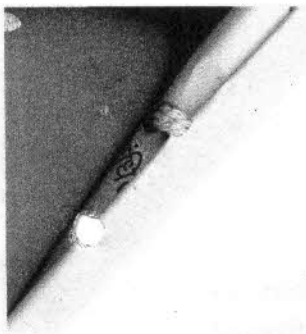

महत्वपूर्ण

संख्या–713 / 18–4–2010–5(एसाइड) / 2008

प्रेषक,

पी0के0 सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2010

विषयः एसाइड योजनान्तर्गत यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र चिनहट से सटे हुए गोयला औद्योगिक क्षेत्र के लिए 800 मीटर सड़क एवं नाली का निर्माण की परियोजना ।

महोदय,

उक्त परियोजना दिनांक 15.1.2010 को आयोजित एस0एल0ई0पी0सी0 की बैठक में नई परियोजना के रूप में स्वीकृत की गयी थी। कार्यकारी अध्यक्ष, गोयला इण्डस्ट्रियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ के पत्र दिनांक 11.2.2009 के द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या–71 / ई0 ई0 कैम्प / 2009, दिनांक 9.2.2009 द्वारा परियोजना तैयार कराकर परियोजना लागत का विवरण उपलब्ध कराया गया था। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रस्तावित लागत रू0 135.56 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त प्रभाग द्वारा रू0 117.53 लाख लागत आंकलित की गई है। प्रभाग द्वारा आगणन की प्रति में यथास्थान आवश्यक संशोधन अंकित कर दिये गये है।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाय।
3. प्रभाग द्वारा आगणन में संलग्न लागत दर विश्लेषण के आधार पर लागत का आंकलन किया गया है।
4. एस0एल0ई0पी0सी0 द्वारा एसाइड फण्ड से रू0 100.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष धनराशि रू0 35.56 लाख को गोयला इण्डस्ट्रियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा वहन किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. प्रस्तावित सड़क एवं नाली आदि के अगले 05 वर्षो तक मरम्मत एवं रख–रखाव का दायित्व निर्माण संस्था का होगा।
6. प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय / वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आंवटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

2 / ––––

2. इस सम्बंध में कार्यकारी अध्यक्ष, गोयला इण्डस्ट्रियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ के पत्र दिनांक 11.2.2009 के द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या–71/ई0ई0कैम्प/2009, दिनांक– 09.02.2009 द्वारा उपलब्ध करायी गयी परियोजना रिपोर्ट जो पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित की गयी है, को संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 15.1.2010 को आयोजित एस0एल0ई0पी0सी0 की बैठक के कार्यवृत्त में प्रश्नगत परियोजना में लिए गये निर्णयानुसार गोयला इण्डस्ट्रियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ से सहभागिता राशि जमा कराने, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र लखनऊ से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त एसाइड फण्ड से स्वीकृत धनराशि नियमानुसार अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या 7130/18–4–2010–05(एसाइड)/08 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निर्यात आयुक्त,निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, गोमती नगर लखनऊ।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
3. महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ।
4. कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या–71/ई0ई0कैम्प/2009, दिनांक 9.2.2009 के संदर्भ में।
5. कार्यकारी अध्यक्ष, गोयला इण्डस्ट्रियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।